न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./92/2023/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. गणेशमल पुत्र भूरचन्द 2. सालगराम पुत्र भूरचन्द के का. मु.– 2/1. रमेश कुमार पुत्र सालगराम 2/2. अशोक कुमार पुत्र सालगराम 2/3. सतीश कुमार पुत्र सालगराम 2/4. महेन्द्र कुमार पुत्र सालगराम 3. जेठमल पुत्र भूरचन्द, जाति खत्री, निवासी बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर।	1. जीवण पुत्र निम्बराज 2. दिनेश पुत्र निम्बराज 3. नंदकिशोर पुत्र निम्बराज 4. दुर्गादेवी पत्नी नीम्बराज 5. बागाराम पुत्र कोजमल 6. मिश्रीमल पुत्र कालूराम के का. मु.– 6/1. सरस्वती पत्नी मिश्रीमल 6/2. खेताराम पुत्र मिश्रीमल 6/3. जोगाराम पुत्र मिश्रीमल, जाति खत्री निवासी नोखडा, जिला बाड़मेर। 6/4. इन्दूबाला पत्नी नदकिशोर पुत्री मिश्रीमल निवासी C/o शुभलक्ष्मी सुगर कैण्डी GID डीसा 7. रायचन्द पुत्र कालूराम फौत के का. मु.– 7/1. ओमप्रकाश पुत्र स्व. रायचन्द 7/2. ताराचंद पुत्र स्व. रायचन्द 7/3. भंवरलाल पुत्र स्व. रायचन्द, पता 34 GID C/o हीगलाज सुगर कैण्डी वर्क्स, डीसा, जिला बनासकांठा (गुजरात) 7/4. श्रीमती सोनीदेवी पुत्री स्व. रायचंद पत्नी नारायणजी निवासी डीसा (गुजरात) 7/5. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. रायचंद पत्नी विनोद निवासी डीसा (गुजरात) 7/6. श्रीमती डाई देवी पुत्री स्व. रायचंद पत्नी मनोज कुमार हाल निवासी देड़ा, जोधपुर(राज.) 7/7. श्रीमती सीतादेवी फौत पुत्री स्व. रायचंद (पत्नी स्व. सोहनलाल)के का. मु.– 7/7/1. चन्द्रवीर पुत्र सीता–सोहनलाल, निवासी बाड़मेर। 7/7/2. लता पुत्री सीता–सोहनलाल पत्नी ललित कुमार, निवासी रामगढ, जैसलमेर। 7/7/3. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री सीता–सोहनलाल पत्नी सुरेशजी खत्री, निवासी हाल रामगढ, जिला जैसलमेर। 7/7/4. श्रीमती विमला पुत्री स्व. सीता–सोहनलाल (पत्नी हरीश), हाल जैसलमेर, राज.।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	8. रघुनाथ पुत्र कालूराम, जाति खत्री, निवासी नोखड़ा, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर, राज। 9. बाड़मेर सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, शाखा नोखड़ा। 10. तहसीलदार, गुडामालानी, जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2014 बउनवान गणेशगल वगैरह बनाम जीवण वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री अम्बालाल जोशी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पों. संख्या 1 से 5 व 6/1 से 6/2 व 6/4 तथा रेस्पों. संख्या 7/1 से 7/3, 7/4 से 7/7/1 व 7/7/3, 7/7/4 एवं रेस्पों. संख्या 8 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—12.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा नोखड़ा के खेत खसरा संख्या 354, 493, 543, 625, 468, 542, 678 रकबा क्रमशः 170.06, 85.02, 64.17, 42.16, 140.04, 35.08, 57.00 बीघा कुल रकबा 594.13 बीघा की भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट काल से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज नरसिंग के जीवनकाल में पैतृक सम्पति की संयुक्त खतेदारी एवं कब्जे—काश्त की आराजी है। इस हेतु वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलांट/वादी के हितों पर कुठाराघात हुआ है जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा अंतिम बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा नोखड़ा के खेत खसरा संख्या 354, 493, 543, 625, 468, 542, 678 रकबा क्रमशः 170.06, 85.02, 64.17, 42.16, 140.04, 35.08, 57.00 बीघा कुल रकबा 594.13 बीघा की भूमि आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी के सबंध में वादीगण/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन वाद प्रस्तुत किया गया था। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से अपीलांट व रेस्पों. के पूर्वज नरसिंग के तीनों पुत्र भारमल, चिमनाराम व पदमाराम की संयुक्त खातेदारी की पैतृक आराजी थी। चिमनाराम के कोई जायंदा पुत्र नहीं था, पदमाराम के दो पुत्र कालूराम व भूरचन्द थें जिसमें से कालूराम को चिमनाराम ने गोद ले रखा था। वक्त सेटलमेंट नरसिंगजी के परिवार में कालूराम एवं भारमल मुखिया थे। उन्होंने सेटलमेंट अधिकारियों से मिलकर तत्समय उपरोक्त विवादित भूमि अपने नाम करवा ली। जबकि पदमाराम भी उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा था। जिसकी जानकारी पदमाराम के पुत्र भूरचंद को तत्समय नहीं हो सकी। भूरचंद की मृत्यू के बाद वादीगण/अपीलांट भी यही सोचते रहे की उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण/अपीलांट का रिकार्ड में नाम बराबर–बराबर दर्ज होगा। किन्तु वक्त सेटलमेंट से ही नरसिंगजी के तीनों पुत्रों एवं वारिसान के संयुक्त नाम से दर्ज नहीं करवाये गये अपितु खेत खसरा संख्या 354 रकबा 170.06 बीघा में से भारमल वल्द नरसींग को 1/2 हिस्सा व कालूराम वल्द चिमनाराम को 1/2 हिस्सा के नाम दर्ज किया गया। खसरा संख्या 493, 543, 623 रकबा क्रमशः 85.02, 64.17, 42.16 बीघा कालू वल्द चिमना के नाम दर्ज किया गया तथा खसरा संख्या 468, 542, 618 रकबा क्रमशः 140.04, 35.08, 57.00 बीघा भारमल वल्द नरसिंगजी के नाम प्रतिवादी/रेस्पों. के पूर्व पुरूषों भारमल व कालूराम द्वारा दर्ज कर दिये गये। किन्तु उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में पदमाराम पुत्र नरसिंगजी का 1/3 हिस्सा है। पदमाराम के दो पुत्र कालूराम पुत्र भूरचंद थे जिसमें से कालूराम जो चिमनाराम के गोद चले गये इसलिये भूरचन्द के वारिसान वादीगण का वादग्रस्त खेतों में 1/3 हिस्सा है, इसी अनुसार ही वादीगण/अपीलांट काब्जि–काश्त चले आ रहे हैं। नरसिंगजी के तीनों पुत्रों का हस्तगत वादग्रस्त आराजी में पैतृक रूप से समान हक हिस्सा है। जिसमें भारमल का 1/3 हिस्सा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भूरचंद पुत्र पदमाराम का 1/3 हिस्सा एवं कालूराम पुत्र चिमनाराम का 1/3 हिस्सा ही है। किन्तु वक्त सेटलमेंट से ही कालूराम एवं भारमल ने सेटलमेंट के अधिकारियों से मिलकर हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को अपने नाम करवा ली जबकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में पदमाराम का भी उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा निहित था। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का वर्षों से लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी कदीमी पीढियों की है, प्रतिवादीगण के पक्ष में वक्त सेटलमेंट गलत रूप से दर्ज करवायी गयी है। क्योंकि पदमाराम भी हस्तगत पक्षकारान के पूर्व पुरूष नरसिंगजी के वंशज के होने से उक्त खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्वज पदमाराम संसार में नहीं थे, उनके पुत्र भूरचंद (वादीगण के पिता) की सहमति लिये बिना ही व जानकारी में लाये बिना ही उस समय की प्रथा अनुसार संयुक्त परिवार के बड़े एवं कर्ताधर्ता होने का भारमल ने लाभ उठाकर मिलीभगत करके नरसिंगजी के दूसरे पुत्र चिमनाराम के लड़के कालूराम को साथ तो रखा मगर स्वयं के खाते में 70 बीघा जमीन अधिक दर्ज करवा दी, जिसको दर्ज करवाने का उनको कोई विधिक अधिकार नहीं था। जबकि एक अन्य खेत में भारमल व कालूराम का हिस्सा शामलाती दर्ज करवाया तथा वादीगण के पूर्व पुरूष पदमाराम को उसके हक के तीसरे हिस्से से वंचित कर दिया। जबकि विधि अुनसार हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी शामलाती एवं पैतृक होने से पूरे परिवार की 1/3–1/3 हिस्से अनुसार दर्ज करवायी जाने चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, साक्ष्य, गवाह व बयानों से परे जाकर तनकीयात कायम की और तनकीयातों को विधि विरूद्ध जाकर निर्णीत करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को सहदायिकी एवं पैतृक व कदीमी आराजी माना है व अपीलांट/वादी को परिवाजन होने से भी इन्कार नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 नकारात्मक रूप से बनायी गयी व तनकी संख्या 5 व 6 को विधि विरूद्ध रूप से निर्णीत किया गया। हस्तगत प्रकरण के पक्षकारो में अपीलांट/वादी को बाड़मेर का रहवासी होने से कब्जा नहीं माना जबकि अन्य पक्षकार जो उड़ीसा में निवासरत है का कब्जा माना है, जो संदेहास्पद है। उक्तानुसार अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया के वाद निस्तारण के प्रावधानों, नेचुरल जस्टिस (सुने जाने का अधिकार) को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पारित किया गया है। जो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात है। क्योंकि अपीलांट्स के जन्म से प्राप्त पैतृक हित्तों पर कुठाराघात करते हुए राजस्व रेकार्ड पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है जो विधि से विपरीत है। उक्त समस्त तथ्यों अनुसार अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट द्वारा अपीलांट को साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजों पर गौर किये विना बाले–बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं गिलावट युक्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण को प्रतिवादी के साक्ष्य में रखा गया। जिस पर प्रतिवादी/रेस्पों के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिस पर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत जवाब, साक्ष्य एवं गवाह–बयानों के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। तनकीयात अनुसार हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर रेस्पों. का ही वक्त सेटलमेंट से लगातर निर्विवाद रूप से काब्जा–काश्त रहा है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट या अपीलांट के पिता–दादा का कभी कब्जा रहा हो इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक सबूत अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। जहां तक अपीलांट का खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकार का प्रश्न है उक्त के सबंध में निवेदन है कि अपीलांट का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है। वादीगण के पिता एवं दादा वक्त सेटलमेंट से ही बाड़मेर शहर में निवासरत है। वादीगण के दादा पदमाराम का हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर कभी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। कालूराम व भारमलराम अपने–अपने परिवार के मुखिया थे। दोनों ही अलग–अलग निवासरत थे किन्तु काश्त दोनों शामलाती करते थे इसलिए कब्जा–काश्त अनुसार वक्त सेटलमेंट के खातेदारी दर्ज की गई है। नरसिंगजी व उनके चार अन्य भाई थे जो आरंग तहसील शिव में रहते थे, उसके बाद में नरसिंगजी के दो पुत्रों भारमलराम व चिमनाराम ने नोखड़ा में आकर निवास कर दिया तथा पदमाराम जो अपीलांट के दादा थे इन्होंने बाड़मेर शहर में निवास करने लग गये। उक्तानुसार मात्र स्वयं के मौखिक निवेदन अनुसार खातेदारी घोषणा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः अपीलांट के उक्त कथन को कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम करते हुए पूर्णतया विधि सम्मत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस एवं रेस्पों. को साक्ष्य सबूत पेश करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार गवाह ब्यान व साक्ष्य, सबूत के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिससे हाजा न्यायालय को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई है। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2014 बउनवान गणेशमल वगैरह बनाम जीवण वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

12/11/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/11/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर